

प्रेस नोट

आज दिनांक 30.03.2021 को पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन में पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ होली का त्यौहार मनाया गया।

उक्त कार्यक्रम में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहें

1. श्री अखिलेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त, वाराणसी
2. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर पुलिस आयुक्त, वाराणसी
3. श्री अमित कुमार, पुलिस उपायुक्त, वाराणसी।
4. श्री विक्रान्त वीर, पुलिस उपायुक्त, वाराणसी।
5. श्री अमित वर्मा, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण वाराणसी।
6. श्री आदित्य लाहरे, अपर पुलिस उपायुक्त, वाराणसी।
7. श्री विकास चन्द्र त्रिपाठी, अपर पुलिस उपायुक्त, वाराणसी।
8. श्री विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त, वाराणसी
9. श्री अनुराग दर्शन, अपर पुलिस उपायुक्त, वाराणसी
10. श्री दिनेश पुरी, अपर पुलिस उपायुक्त, वाराणसी
11. श्री अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त, वाराणसी
12. श्री अभिमन्यु मांगलिक, सहायक पुलिस आयुक्त, कैण्ट वाराणसी
13. श्री नितेश प्रताप सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त, चेतगंज वाराणसी
14. श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, सहायक पुलिस आयुक्त, भेलूपुर वाराणसी व समस्त प्र०नि०

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।

प्रेस नोट

थाना चोलापुर पुलिस द्वारा दो शातिर चोर करन पटेल व मनोज यादव गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल व चोरी के सामान के बिक्री के 3900/- रूपये नगद बरामद।

दिनांक 29.03.2021 को उ0नि0 कमलभूषण राय चौकी प्रभारी गोसाईपुर मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति जो एक मोटर साइकिल से गोसाईपुर छोटा के पास पहुंचा है, उनके पास चोरी की मोटर साइकिल है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर एक मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम करन पटेल S/O छोटेलाल पटेल निवासी नेहिया (परसन का पुरा) थाना चोलापुर, वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष व दूसरे ने अपना नाम मनोज यादव S/O मोतीलाल यादव निवासी नेहिया(कोन-का-बोदर) थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष। दोनों के कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल व चोरी के सामान के बिक्री के रूपये 3900/- नगद बरामद हुआ है। थाना चोलापुर पुलिस द्वारा उक्त के संबंध में दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर 17.10 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पलहीपट्टी शराब के ठेके से सामान व नगद तथा पलहीपट्टी में भैस की भी चोरी किये थे। ग्राम नेहिया से भी मोटरसाइकिल सुपर स्पलेंडर चोरी किये थे। चोरी की भैस व सामान को बेचने पर जो पैसा मिला उसमें से कुछ खर्च किया बाकी बचा है वहीं पैसा है।

4.अभियुक्तगण का विवरण-

1. करन पटेल S/O छोटेलाल पटेल निवासी नेहिया (परसन का पुरा) थाना चोलापुर, वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।

2. मनोज यादव S/O मोतीलाल यादव निवासी नेहिया(कोन-का-बोदर) थाना चोलापुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद मोटर साईकिल सुपर स्पलेण्डर संबन्धित मु0अ0स0 0153/2021 से
2. 2200 रुपया नगद- मु0अ0सं0 0017/2021 से
- 3.1700 रुपया नगद- मु0अ0सं0 0067/2021 से

पंजीकृत अभियोग (जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है) का विवरण-

1. मु0अ00 153/21 धारा 379/411 IPC थाना चोलापुर, वाराणसी
2. मु0अ0सं0 0017.2021 धारा 379/411 IPC थाना चोलापुर, वाराणसी
3. मु0अ0सं0 0067.2021 धारा 457/380/411 भादवि थाना चोलापुर, वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 कमलभूषण राय चौकी प्रभारी गोसाईपुर, उ0नि0 प्रकाश कुमार, हे0का0 रामजीत यादव, का0 प्रवीण यादव थाना चोलापुर वाराणसी।

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना लोहता पुलिस द्वारा मु94 0स0अ0/भादवि 302 धारा 2021 से संबंधित अभियुक्त तौफीक गिरफ्तार

आज दिनांक **30-03-2021** को **उ राजेश सिंह मय हमराह 0नि0**देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि थाना लोहता में पंजीकृत मु94 0स0अ0/ से सम्बन्धित 21अभियुक्त कादरिया मस्जिद हरपालपुर के पास है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ जा सकता है, उक्त सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुंचकर मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो बताये कि अपना नाम **तौफीक खान पुत्र स्वअल्ताफ खान निवासी रहीमपुर लोहता थाना लोहता 0 वर्ष 48 वाराणसी उम्र करीब** बताया। उक्त के संबंध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अभियुक्त तौफीक खान को समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

पूछताछ में अभियुक्त तौफीक उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपनी भाभी की हत्या कर दिया था। भाभी के द्वारा मुझे व मेरी पत्नी को ताना मारा करती थी। जिससे परेशान होकर पत्ता काटने वाले तलवार निकालकर उनकी जान से मारने के नियत से हमला कर हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- तौफीक खान पुत्र स्व अल्ताफ खान निवासी रहीमपुर लोहता थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब वर्ष 48

बरामदगी का विवरण

- एक अदद आला कत्ल तलवार ।

संबंधित अभियोग

मु94 0स0अ0/ धारा 2021302 भादवि थाना लोहता जनपद वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

- उराजेश सिंह 0नि0, उ अक्षय सिंह 0नि0, कादिवाकर गुप्ता 0, काशंकर राम 0, का 0 अरूण पाल ।

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 30.03.2021 को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर महावीर मंदिर चौराहे के पास से थाना कैण्ट में पंजीकृत मु0अ0स0 211/2021 धारा धारा 147,323,427,341,354,504 भादवि से संबंधित अभियुक्त को पकड़ा गया। पकड़ गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र उदय प्रताप नारायण सिंह निवासी एस 24/6- 19 E अजय बिहार कालोनी टकटकपुर थाना कैण्ट वाराणसी उम्र 35 वर्ष बताया। थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र उपरोक्त को समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र उदय प्रताप नारायण सिंह निवासी एस 24/6- 19 E अजय बिहार कालोनी टकटकपुर थाना कैण्ट वाराणसी उम्र 35 वर्ष

संबंधित अभियोग

- मु211 0स0अ0/2021 धारा धारा 147,323,427,341, 354,504 भादवि थाना कैण्ट जनपद वाराणसी

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण* –**

- राकेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक, उ0नि0 बनारसी यादव चौकी प्रभारी अर्दली बाजार, का0 अमरजीत यादव , का0 अभिमन्यु थाना कैण्ट वाराणसी

मीडिया सेल***पुलिस आयुक्त******वाराणसी।***



कार्यालय

पुलिस

आयुक्त

वाराणसी

संख्या: पीआरओ 178/2021

दिनांक: मार्च, 30/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 30.03.2021 को थाना मण्डुवाडीह के उ0नि0 श्री प्रकाश सिंह चौहान मय हमराह द्वेखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद था कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि थाना मण्डुवाडीह में पंजीकृत मु0अ0सं 112/2021 धारा 363 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त, अपहृता के साथ रेलवे स्टेशन मण्डुवाडीह के पास है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर मौके पर पुहंचकर, मुखबिर की निशादेही पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुरज कुमार बिन्द पुत्र कृष्ण कुमार निवासी सब्जी मण्डी मण्डुवाडीह थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र 19 वर्ष बताया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमे से संबंधित अपहृता को बरामद किया गया। थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 03.35 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- सुरज कुमार बिन्द पुत्र कृष्ण कुमार निवासी सब्जी मण्डी मण्डुवाडीह थाना मण्डुवाडीह वाराणसी उम्र वर्ष 19

बरामदगी का विवरण

- मु0अ0सं0 112/2021 धारा 363 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अपहृता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उप्रकाश सिंह चौहान 0नि0, हे0का0 सौरभ यादव, हे0का0 जय गोविन्द यादव, का0 आकाश सिंह, म0का0 प्रियांशी गौड़ थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी।

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 30.03.2021 को उ0नि0 मनोज सिंह चौकी इन्चार्ज सरैया मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सरैया पक्के महाल के पास थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 69/21 धारा-147,149,323,504,336,352 भादवि व 3(1) द,3(1)ध, 3(2) ए एससीएसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण मौजूद है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान से मुखबिर की निशादेही पर दो व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम अजीम उम्र-52 पुत्र अजीमुल्ला व दूसरे ने अपना नाम आसीम पुत्र शमीम अहमद निवासीगण लाट भैरव सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी बताया। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. अजीम उम्र-52 पुत्र अजीमुल्ला निवासी लाट भैरव सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी
2. आसीम पुत्र शमीम अहमद निवासी लाट भैरव सरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी

अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 69/21 धारा-147,149,323,504,336,352 भादवि व 3(1) द,3(1)ध, 3(2) ए एससीएसटी एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह चौकी इन्चार्ज सरैया, हे0का0 धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, हे0का0 राकेश राय थाना जैतपुरा वाराणसी

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 30.03.21 को थाना जैतपुरा के उ0नि0 रामसागर गुप्ता मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है नाटी इमली चौराहे के पास मौजूद है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुंचकर, मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम **सुबहान अली उम-24 वर्ष पुत्र अनीसुरहमान निवासी जे-21/121 रसुलपुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी** बताया। जिसके कब्जे से एक अदद चाकू लोहे (मुठिया-9 से0मी0 फल 17 से0मी0) का नाजायज बरामद हुआ। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा उक्त के संबंध में अभियुक्त सुबहान उपरोक्त को समय करीब 12.35 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- सुबहान अली उम-24 वर्ष पुत्र अनीसुरहमान निवासी जे-21/121 रसुलपुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी

अभियोग का विवरण

- मु0अ0सं0 70/21 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुरा वाराणसी

बरामदगी का विवरण

- एक अदद चाकू लोहे का नाजायज (मुठिया-9 से0मी0 फल 17 से0मी0)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- उ0नि0 रामसागर गुप्ता, का0 अरविन्द यादव, का0 उजाला अंसारी, का0 संदीप कुमार थाना जैतपुरा वाराणसी

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।



प्रेस नोट

पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 120 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3427 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 276 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 108 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1895 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 116 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

मीडिया सेल

पुलिस आयुक्त

वाराणसी।